

अचल सम्पत्ति का विवरण पत्रक- वर्ष 31.12.2020

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :- लोकेंद्र सिंह ठाकुर
 2- प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान धारित पद :- उप पुलिस अधीक्षक
 3- जन्मतिथि :- 13.06.1985 4-वर्तमान वेतन :- 61300 + DA 5- अगली वेतनवृद्धि की तारीख :- 01-01-2021

उस जिले उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरात भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम-तिरना जिला-हजार संभाग-इंदौर म.प्र. 454001	पैत्रक (संयुक्त)	1" 25 बीघा (लगभग) संयुक्त पैत्रक 2. जोट 5400 feet ²	2.5 करोड़ 2.15 लाख	शारदा देवी - माताजी माता पैत्रक - शारदा देवी संयुक्त - माताजी	पैत्रक पैत्रक	40000/-	

1. जहां लागू न हो उसे काट दीजिए ।
 2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
 3. इसमें उत्पत्तिकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरें दें ।


हस्ताक्षर
(नगर पुलिस अधीक्षक)

नाम:- लोकेंद्र सिंह
 पद:- नगर पुलिस अधीक्षक
 विभाग :- गृह विभाग (पुलिस)